राजस्थान–सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर–302016

क्रमांक :– एफ.93 / पार्ट–3 / कम्प / ऑनलाईन प्रोसेस / 2021 / 323-370 दिनांक 19.05.2022

परिपत्र

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(8)वित्त / राजस्व / 05 पार्ट जयपुर दिनांक 24.11.2009, 07.06.2010 तथा विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ.93 / कम्प / ऑनलाईन प्रोसेस / 2018 / 1702–1768 दिनांक 09.01.2019 के द्वारा राजस्थान के समस्त राज्य कर्मचारियों के तथा परिपत्र क्रमांक एफ. 93 / कम्प / ऑनलाईन प्रोसेस / 2018 / 560–620 दिनांक 04.07.2019 के द्वारा सेवानिवृत्त राज्य कार्मिकों के मास्टर डाटा तथा उनके जीपीएफ, राज्य बीमा एवं नवीन पेंशन योजना के खातों / पॉलिसी संख्या एवं मनोनीत का डाटाबेस तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त डाटाबेस के आधार पर राज्य कर्मचारियों को 16 डिजिट की एम्प्लॉई आईडी जारी की जा रही है।

ऐसे कार्मिक जो एम्प्लॉई आईडी जारी होने की दिनांक से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये है अथवा उनकी मृत्यु हो गई है / तत्समय एम्प्लॉई आईडी जारी किये जाने का प्रावधान नही था, की स्थिति में कार्मिक / उत्तराधिकारियों के द्वारा स्वत्व की बकाया राशि की मांग किये जाने के संबंध में विभागीय जिला कार्यालयों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा अवगत करवाया जा रहा हैं।

अतः इस प्रकार के प्रकरणों में एम्प्लॉई आईडी जारी करवाने हेतु सेवानिवृत्त / मृतक कार्मिक के उपलब्ध अधिकृत रिकॉर्ड के आधार पर एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर विभागीय जिला कार्यालय द्वारा ही एम्प्लॉई आईडी जारी की जावेगी। यदि कोई सूचना अनुपलब्ध हो तो सेवानिवृत्त / मृतक कार्मिक के अन्तिम आहरण एवं वितरण अधिकारी / कार्मिक अथवा उसके उत्तराधिकारी से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है।

सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि एसआईपीएफ पोर्टल पर एम्प्लॉई डाटा सबमिट करने में पूर्ण सावधानी बरती जावें कि सम्बन्धित कार्मिक की ऑल्ड पोर्टल पर एम्प्लॉई आईडी नहीं बनी हो एवं प्रमाणिक सूचना ही एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड की जावे, ताकि डूप्लीकेट एम्प्लॉई आईडी की समस्या से बचा जा सके।

उक्तानुसार एम्प्लॉई आईडी जारी शीघ्र जारी करें, ताकि राज्य कार्मिक की अवशेष राशि के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब नहीं हों।

(योगमित्र दिनकर)
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स

क्रमांक :– एफ.93/पार्ट–3/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2021/323-370 दिनांक 19.05.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को उनकी अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक दिनांक 17.05.2022 की अनुपालना में प्रेषित है।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक/परियोजना निदेशक, प्रशासन/राज्य बीमा/प्रानि/एनपीएस/सतर्कता/साबीया/मेडिक्लेम/डिजिटाईजेशन/विधि एवं प्रशिक्षण/आरजीएचएस राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. लोक सूचना अधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अधिनस्थ जिला कार्यालयों से उपरोक्तानुसार अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त जिला कार्यालय।
6. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को विभाग की वेब–साईट www.sipf.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स